संख्या-60/2018-2932/58-2018-100(2)/2001

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

समस्त जिलाधिकारी
एवं जनपदीय लाइसेंसिंग अधिकारी(शीतगृह),
उत्तर प्रदेश।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 19 दिसम्बर, 2018**

विषय :- आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस वर्ष अभी तक मौसम के अनुकूल रहने से प्रदेश में आलू की अधिक पैदावार होने की संभावना बनती जा रही है। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि आलू का समय से भण्डारण सुनिश्चित कराने के लिए निजी शीतगृहों के संचालन हेतु निम्न बिन्दुओं पर आपके स्तर पर अविलम्ब समीक्षा कर ली जाय :-

1- जनपद में सभी चालू शीतगृहों का लाइसेंस नवीनीकरण हो गया है। नवीनीकरण करते समय भवन एवं मशीनरी का बीमा, कम्प्रेशर तथा जनरेटर की स्टेण्ड बाई व्यवस्था की समीक्षा कर ली जाय तथा शीतगृह भवन एवं मशीनरी (अवशीतन प्रणाली) की सुदृढ़ता के संबंध में सक्षम अभियन्ता का वैधानिक प्रमाण-पत्र प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त निजी शीतगृहों में भवन एवं मशीनरी की खराबी के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने वाले आलू के बचाव के लिए शासनादेश सं0-5701/58-1-2000, दिनांक 20 दिसम्बर, 2000 एवं निदेशालय उद्यान के पृष्ठांकन सं0-1974, दिनांक 06 जनवरी, 2001 के क्रम में जनपद स्तर पर सिविल तथा मशीनरी रेफ्रीजरेशन इंजीनियर की तकनीकी समिति गठित कराकर भवन तथा मशीनरी की सुदृढता आवश्यक विद्युत लोड की उपलब्धता तथा आवश्यक क्षमता के जनरेटर सेट की उपलब्धता संबंधी जांच 10 दिन में करा ली जाय।

2- जो शीतगृह किन्हीं कारणोंवश बन्द हैं, उन्हें आगामी भण्डारण सत्र हेतु चालू करने पर यथोचित कार्यवाही प्राथमिकता पर करा ली जाय।

3- कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि जनपद में कोई भी शीतगृह बिना लाइसेंस के संचालित न हो।

4- शीतगृह में आलू भण्डारण के समय लगने वाली लम्बी कतार एवं सड़क जाम की समस्या के निदान हेतु शासनादेश सं0-3532/58-1-98-100(28)/98, दिनांक 16.10.1998 द्वारा शीतगृहों की भण्डारण क्षमता के सापेक्ष लाइसेंसधारियों की बुकिंग प्रक्रिया हेतु उन्हें 05 जनवरी से अधिकृत किया गया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत बुकिंग भण्डारण क्षमता के 85 प्रतिशत की बुकिंग होने तक अथवा 14 फरवरी तक, जो भी पहले हो, की जानी है। इस व्यवस्था का भरपूर प्रचार-प्रसार कराया जाय।

5- शासनादेश सं0-385/58-1-2000(2)/2001, दिनांक 29.01.2001 द्वारा आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में आलू किसान अधिकार पत्र जारी किया गया है

http://shasanadesh.up.nic.in

जिसे समस्त शीतगृहों पर 2 x 4 फिट के आकार के नोटिस बोर्ड पर पठनीय भाषा में लिखवाकर प्रत्येक शीतगृह के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। इसी के साथ-साथ उद्यान निदेशालय के पत्र सं-आलू-1942/शीतगृह, दिनांक 14.02.2002 द्वारा किसान अधिकार पत्र के बिन्दु-04 के संबंध में उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम-1976 की धारा-22 के अनुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में जारी निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करा लिया जाय।

6- आलू भण्डारण से पूर्व जनपद के प्रत्येक शीतगृह में वर्ष 2019 के लिए निर्धारित किये गये भण्डारण प्रभार की सूचना अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा शीतगृह के मुख्य प्रवेश द्वार एवं सूचना पट पर भण्डारण प्रभार की दर अवश्य प्रदर्शित कर दी जाय।

7- भण्डारणकर्ताओं को शीतगृह पर आलू पहुंचाने के समय शीतगृह अधिनियम 1976 में वर्णित प्रारूप में तकपटटी तुरन्त उपलब्ध करा दी जाय तथा शासनादेश सं0-3532/58-1-98-100(28)/98, दिनांक 16.10.1998 के पैरा-8 के अनुपालन में तकपटटी पर तौल एवं भण्डारण प्रभार दर भी लिखे जाने का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अभी से रणनीति बना ली जाय, ताकि आलू भण्डारणकर्ताओं को शीतगृह में कोई असुविधा न हो।

कृपया कृत कार्यवाही से शासन तथा निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः- उपरोक्त शासनादेशों की प्रतियां।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या-60/2018-2932(1)/58-2018, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मा0 उद्यान मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6- समस्त उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in